"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2009—फाल्गुन 22, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. (1983), प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री एम. के. राउत, भा. प्र. से. (1984), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण एवं उच्च शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री राउत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. रमेष कुमार, आयुक्त, उच्च शिक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक ई-01-07/2004/एक/2.—श्री एस. के. कुजूर, भा. प्र. से. (1986), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जल संसाधन विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छ. ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्रों से संबंधित प्रकरणों के संव्यवहरण हेतु) पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक परियोजना निर्देशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 6-6/2002/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2003 द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त नियम की श्रेणी-दो में उल्लिखित अंतिम अनुक्रमांक 22 के पश्चात् नया अनुक्रमांक 23 निम्नानुसार जोड़ा जाये—

23. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उड़ीसा, और गुजरात राज्य के लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (पारस्परिक राज्य अतिथि मान्य करने पर)

2. उक्त संशोधन अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ 1/37/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल (तत्कालीन महानिरीक्षक नगर सेना) को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य ठीक न होने से इलाज प्रयोजनार्थ दिनांक 24-11-08 से 12-12-08 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 23-11-2008 एवं 13-14 दिसंबर 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल (तत्कालीन महानिरीक्षक नगर सेना) को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं

भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल (तत्कालीन महानिरीक्षक नगर सेना) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 1-17/30/सं./2007.--श्री राकेश चतुर्वेदी, (भावसे-1985) संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़, रायपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक, वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

2. श्री राजीव श्रीवास्तव (भापुसे) पुलिस महानिरीक्षक, एस. ए. एफ. भिलाई, जिला-दुर्ग की सेवाएं गृह विभाग से लेते हुए आगामी आदेश तक संचालक, सह आयुक्त संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2/आजावि.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक/डी-5145/एसटी/एससी/2004, दिनांक 23 अगस्त, 2004 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम, 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का पुनर्गठन करता है :

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
4.	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक, मुंगेली	सदस्य
5.	मान. श्री राम विचार नेताम, विधायक, पाल	सदस्य
6.	मान. श्री विक्रम उसेंडी, विधायक, अंतागढ़	सदस्य
7.	मान. श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर-सोनहत	सदस्य
8.	मान. श्री रामदेव राम, विधायक, लुण्ड्रा	सदस्य
9.	मान. श्री भरत साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य

(1)	(2)	(3)
10.	मान. श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धर्मजयगढ़	सदस्य
11.	मान. डॉ. कृष्ण मूर्ति बांधी, विधायक, मस्तूरी	सदस्य
12.	मान. श्री दूजराम बौद्ध, विधायक, पामगढ़	सदस्य
13.	मान. श्री डमरुधर पुजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	सदस्य
14.	मान. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, विधायक, डोंडीलोहारा	सदस्य
15.	मान. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक, अहिवारा	सदस्य
16.	मान. श्री दयालदास बघेल, विधायक, नवागढ़	सदस्य
17.	मान. श्री रामजी भारती, विधायक, डोंगरगढ़	सदस्य
18.	मान. श्री ब्रम्हानंद, विधायक, भानुप्रतापपुर	सदस्य
19.	मान. श्री सेवकराम नेताम, विधायक, केशकाल	सदस्य
20.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	सदस्य
21.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
22.	अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
23.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	सदस्य
24.	निदेशक/उप निदेशक राष्ट्रीय अनु. जाति, जनजाति आयोग	सदस्य
25.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य/संयोजक

2. यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे संबद्ध अन्य मामले तथा अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार कर सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक 400-एफ 9-24/32/2005.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अहिवारा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चिय की गई हैं :—

अनुसूची

अहिवारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पोटिया, देउरझाल, पिटौरा एवं खासाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम खासाडीह, सन्डी एवं हिगनाडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम हिगनाडीह, अहिवारा एवं बानबरद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बानबरद एवं पोटिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक 406-एफ 9-10/32/2005.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-एफ 9-10/32/05 दिनांक 14-10-2008 द्वारा जांजगीर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

जांजगीर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-अर्जन उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बनारी प. ह. नं. 45 (जांजगीर)	1860/1 घ, 1861/झ, 1861/1 ख, 1861/2 ख, 1862/2, 1865/2, 1875/2, 1860/1 ढ, 1860/8, 1860/9, 1861/2, 1971, 1880 एवं 1861/1 छ.	18.0 एकड़ (7.284 हे.)	वर्तमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 40 मी. एवं पिकनिक स्थल तथा कृषि प्रक्षेत्र	औद्योगिक (वर्तमान प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई 40 मी. को यथावत् रखते हुये शेष भाग)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा जांजगीर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण जांजगीर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/2152/ भू-अर्जन/वाचक कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	पतुरियाडांड़	92.710	Executive Engineer (C) Chhattisgarh State Power Generation Company Limited [A successor company of CSEB Korba (East)].	थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिये कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/2155/ भू-अर्जन/वाचक कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	गिधमुड़ी	86.049	Executive Engineer (C) Chhattisgarh State Power Generation Company Limited [A successor company of CSEB Korba (East)]	थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिये कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/2158/ भू-अर्जन/वाचक कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	मदनपुर	68.434	Executive Engineer (C) Chhattisgarh State Power Generation Company Limited [A successor company of CSEB Korba (East)]	थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिये कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 फरवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-2006.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	अजगरबहार	0.87	कार्यपालन अभियंता, सह-सदस्य सचिव क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. स. योजना, कोरबा.	अजगरबहार से कछार मार्ग पर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ/82/2007-08.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-गरियाबंद
 (ग) नगर/ग्राम-परसूली
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124	0.23
133	0.30
138	0.20
134	0.07
135	0.07
214/2	0.06
214/3	0.06
223	0.10
226/1	0.10
226/2	0.10
250	0.17
248	0.17
372	0.01
421/4	0.13
421/6	0.02
421/7	0.08
421/10	0.01
421/11	0.02

(1)	(2)
421/12	0.08
421/16	0.37
214/4	0.02
214/5	0.02
421/19	0.05
योग 23	2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-झिथरीडुमर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.01
56	0.03
68	0.15
55	0.02
74/633/3	0.21
422/6	0.01
57	0.03
64	0.01
79	0.04
81	0.03
65/1	0.04
65/2	0.07
65/3	0.09
69/7	0.01
93	0.02
67	0.09
74/633/5	0.05
422/9	0.02
75	0.10
422/8	0.06
78	0.02
83/1	0.07
419/2	0.12
80	0.07
97	0.06
120	0.06
418	0.12
74/633/6	0.01
82	0.11
121	0.17
417	0.01
98/2	0.21
419/1	0.04
420	0.09
421	0.01
422/5	0.02
588/2	0.08
589	0.48
593	0.02
99	0.12
96/1	0.01
96/2	0.09
96/3	0.02
94	0.12
95	0.24
योग 45	3.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.